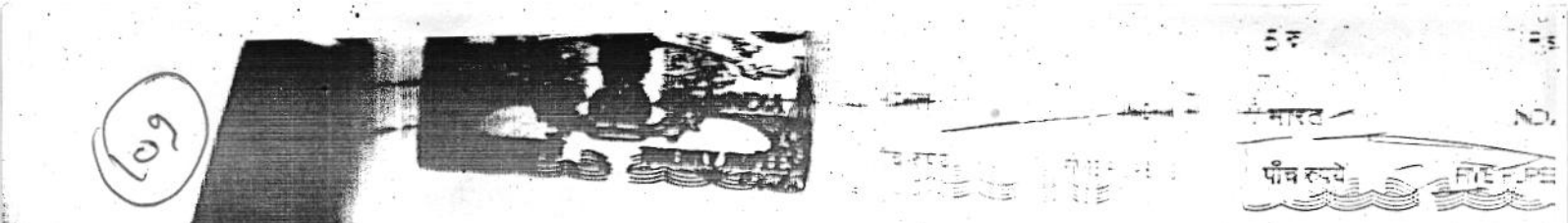

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–पन्ना

नी–6227/2018/पन्ना/भू.रा.

कृष्ण लाल कुशवाह पुत्र श्री श्यामलाल कुशवाह
निवासी – ग्राम अहिरगवा तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1 लखन लाल कुशवाह पुत्र श्री श्यामलाल कुशवाह
निवासी – ग्राम अहिरगवा तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

2 मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – पन्ना म.प्र.

...... अनावेदकगण

आज दि. 31.10.18 को प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12.11.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
31-10-18

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 429/अ–6(अ)/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, आराजी क्रमांक 266/2 रकवा 0.50 है0 भूमि का पट्टा तहसीलदार पन्ना के न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 44/अ–19 (ब)/1992–93 में दिनांक 30.09.1993 को दिया गया था। तब से आवेदक का निरन्तर कब्जा कास्त करके चला आ रहा है, जब आवेदक को खसरे की नकल की आवश्यकता हुयी तब उसने ग्राम पटवारी से संपर्क किया तो पटवारी द्वारा बताया गया कि राजस्व अभिलेख में उसके नाम का इन्द्राज नहीं है इसलिये उसने संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया। जो प्रकरण क्रमांक 73/अ–6(अ)/2008–09 पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 07.12.2009 इस आधार पर पारित किया। कि ग्राम अहिरगवा में स्थित आराजी क्रमांक 266/1 रकवा 0.50 है0 का पट्टा आवेदक को प्रदान

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- जिग 6227/2018/पन्ना/भू0रा0

कृष्णलाल कुशवाह विरूद्ध लखन लाल कुशवाह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री के0के0 व्दिवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर श्री विवेक भार्गव उपस्थित। दोनों अभिभाषकों को कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 429/अ-6(अ)/2015-16 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 010-8-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत दिनांक 31-10-2018 को प्रस्तुत की गई थी। आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में हुये नवीन संशोधन दिनांक 25-09-2018 के पश्चात दायर की गई है। अतः उक्त संशोधन के पश्चात आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने हेतु वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) 12/3/19 सदस्य	